Chapter–01

अपने संगठन की विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य :–

Manual - 1

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार
STATE ELECTION COMMISSION, BIHAR

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार – एक परिचय

राज्य निर्वाचन आयोग का गठन संविधान के 73वें संशोधन के अन्तर्गत राज्य सरकार के अधिसूचना द्वारा दिनांक 30.03.1994 को हुआ। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन पंचायती राज संस्थाओं/ ग्राम कचहरी तथा शहरी क्षेत्र के स्थानीय निकायों का निर्वाचन कराये जाने के उद्देशय से किया गया है।

संविधान के अनुच्छेद 243-K (1) में राज्य निर्वाचन आयोग की शक्तियों एवं उसके दायित्वों का उल्लेख किया गया है।

243-K. Elections of the Panchayats — (1) The superintendence direction and control of the preparation of electoral rolls for, and the conduct of, all elections to the Panchayats shall be vested in a State Election Commission consisting of a State Election Commissioner to be appointed by the Governor.

संविधान के अनुच्छेद 243-ZA में राज्य की नगरपालिकाओं के निर्वाचन का प्रावधान विहित किया गया है, जो निम्नवत है :-

Article 243-ZA The superintendence, direction and control of the preparation of electoral rolls for, and the conduct of, all elections to the Municipalities shall be vested in the State Election Commission referred to in Article 243-K.

पंचायत निर्वाचन –

पंचायती राज व्यवस्था के अधीन बिहार में सर्वप्रथम बिहार पंचायत राज अधिनियम, 1993 लागू हुआ एवं वर्ष 2006 से संशोधनोपरान्त बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 वर्तमान में प्रवृत्त है।

बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 123 में राज्य की पंचायत निकायों के निर्वाचन के संचालन तथा निर्वाचन नामावली तैयार करने के लिए अधीक्षण, निदेशन एवं नियंत्रण हेतु राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है।

उक्त अधिनियम की की धारा 123 में ही राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति, सेवाशर्त्त तथा पदावधि का भी उल्लेख है। राज्य निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है।

ग्राम पंचायत/ ग्राम कचहरी के पदों यथा- जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, ग्राम पंचायत मुखिया, ग्राम पंचायत सदस्य/ ग्राम कचहरी सरपंच, ग्राम कचहरी पंच एवं जिला परिषद अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष, पंचायत समिति प्रमुख/ उप प्रमुख, उप मुखिया तथा उप सरपंच का निर्वाचन बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2006 (यथा संशोधित) एवं बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 (यथा संशोधित) में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य निर्वाचन आयोग के नियन्त्रण, निदेशन एवं पर्यवेक्षण में सम्पन्न कराये जाते हैं।

बिहार पंचायत राज अधिनियम (यथा संशोधित) 2006 की धारा क्रमशः 13, 15, 38, 40, 65, 67, 91 एवं 93 के आलोक में ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, पंचायत समिति के प्रमुख, जिला परिषद सदस्य, जिला परिषद के अध्यक्ष, ग्राम कचहरी पंच, ग्राम कचहरी के सरपंच के कुल पदों का 50 प्रतिशत अधिसीमा के अन्तर्गत आरक्षण का प्रावधान है।

जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को उनके जनसंख्या के अनुपात के आधार पर तथा पिछड़ा वर्ग (अत्यन्त पिछड़ा वर्ग) को कुल पद का यथाशक्य 20 प्रतिशत तथा सभी श्रेणी की महिलाओं के लिए यथाशक्त 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है।

जिला परिषद के उपाध्यक्ष, पंचायत समिति के उप प्रमुख, ग्राम पंचायत के उप मुखिया तथा ग्राम कचहरी के उप सरपंच पद के निर्वाचन में आरक्षण का प्रावधान नहीं किये गये हैं।

अगस्त-दिसम्बर, 2021 में कुल ग्यारह चरण में पंचायतों/ ग्राम कचहरी के 247658 पदों पर प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं द्वारा पंचायत आम निर्वाचन कराये गये। पंचायत आम निर्वाचन से निर्वाचित प्रतिनिधियों के बीच से 17276 पदों पर अप्रत्यक्ष निर्वाचन सम्पन्न कराये गये। जिसकी पदवार विवरणी निम्नवत् है :-

पंचायत आम निर्वाचन, 2021 एक नजर में

मतदान केन्द्रों की संख्या – 1,13,891

मतदाताओं की संख्या – कुल -- **6,28,85,394** पुरुष – **3,30,52,382** महिला – **2,98,30,725** अन्य - **2,287**

प्रत्यक्ष निर्वाचन –

पद का नाम	कुल पद	पदों के आरक्षण की स्थिति			
		अ.जा.	अ.ज.जा.	पिछड़ा वर्ग	महिला
1. जिला परिषद सदस्य -	1160	195	13	216	549
2. पंचायत समिति सदस्य -	11094	1865	130	1969	5138
3. ग्राम पंचायत मुखिया -	8067	1338	90	1374	3583
4. ग्राम कचहरी सरपंच -	8067	1342	90	1370	3587
5. ग्राम पंचायत सदस्य -	109635	18247	1182	17705	49050
6. ग्राम कचहरी पंच -	109635	18219	1200	17685	49057
कुल –	**247658**	**41206**	**2705**	**40319**	**110964**

अप्रत्यक्ष निर्वाचन

1.	जिला परिषद अध्यक्ष	-	38
2.	जिला परिषद उपाध्यक्ष	-	38
3.	पंचायत समिति प्रमुख	-	533
4.	पंचायत समिति उप प्रमुख	-	533
5.	ग्राम पंचायत उप मुखिया	-	8067
6.	ग्राम कचहरी उप सरपंच	-	8067

पंचायत आम निर्वाचन, 2021 – नई पहल

1. मतदाताओं का बायोमैट्रिक सत्यापन :–

पंचायत आम निर्वाचन, 2021 के अवसर पर स्वतंत्र, स्वच्छ, पारदर्शी एवं जिम्मेदारीपूर्ण जन सहभागिता के साथ निर्वाचन हेतु मतदाताओं की सही पहचान करने के लिए पहली बार बायोमेट्रिक (Aadhar & Non-Aadhar based) के माध्यम से मतदाताओं की सत्यापन प्रणाली अपनाई गई। बायोमेट्रिक प्रणाली का प्रयोग कर मतदान केन्द्र पर छद्म वोटिंग (Bogus Voting) एवं शांतिपूर्ण मतदान केंन्द्र में गड़बड़ी (Silent Booth Rigging) को रोकने में आयोग को शत्–प्रतिशत् सफलता मिली।

2. बज्रगृह में डिजिटल लॉक का उपयोग :–

मतदान के उपरांत अभ्यर्थियों के मध्य ई.वी.एम. को बज्रगृह में सुरक्षित रखे जाने के प्रति विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए बज्रगृह को डिजिटल लॉक से सुरक्षित किया गया, जिसमें बज्रगृह के खोलने एवं बंद किए जाने की सूचना प्रशासनिक तंत्र के साथ–साथ सभी संबंधित अभ्यर्थियों को उनके मोबाईल पर SMS Alert के माध्यम से प्राप्त किया गया। इस प्रणाली के उपयोग से सभी Stakeholders यथा अभ्यर्थी, अभिकर्त्ता के बीच निर्वाचन तंत्र में अतिरिक्त पारदर्शिता एवं विश्वसनीयता बहाल हुई।

3. मतगणना में AI (Artificial Inteligence) आधारित सॉफ्टवेयर OCR (ऑप्टीकल कैरेक्टर रिकॉगिनेशन) तकनीक का प्रयोग :–

मतगणना प्रणाली में मतों की गणना को अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए पंचायत निर्वाचन, 2021 की मतगणना में AI (Artificial Inteligence) आधारित सॉफ्टवेयर OCR तकनीक का उपयोग किया गया, जिसमें Control Unit के Display पैनल पर प्रदर्शित अभ्यर्थीवार प्राप्त मतों को सीधे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के निर्धारित प्रपत्र में संकलित किया गया, जिससे निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के मध्य मतगणना प्रक्रिया की निष्पक्षता के प्रति विश्वास उत्पन्न हुआ। इसके प्रयोग से मतगणना से संबंधित आँकड़ों का संकलन एवं पुनर्सत्यापन करने में निर्वाची पदाधिकारी एवं उनसे संबंधित पदाधिकारियों को भी काफी सहूलियत हुई।

568

4. निर्वाचन की सम्पूर्ण प्रक्रिया का शत्–प्रतिशत डिजिटाइजेशन :–

पंचायत आम निर्वाचन के अवसर पर आयोग द्वारा निर्वाचन की सम्पूर्ण प्रक्रिया का शत्–प्रतिशत डिजिटाईजेशन एवं Real Time Online Monitoring किया गया। निर्वाचक सूची का निर्माण, मतदान केन्द्रों की स्थापना एवं सत्यापन, नामांकन प्रक्रिया से संबंधित कार्य, मतदान दिवस को मतदान केन्द्रों पर विधि व्यवस्था की स्थिति एवं मतदान प्रतिशत् से संबंधित प्रतिवेदन, मतगणना तथा निर्वाचन परिणाम की सम्पूर्ण प्रक्रिया को अधिक निष्पक्ष एवं पारदर्शी बनाने के लिए शत्–प्रतिशत डिजिटाईजेशन किया गया।

5. विभिन्न पदों के लिए रंग आधारित मतदान प्रकोष्ठ :–

मतदाताओं की सहजता एवं सुविधा के लिए पंचायत निर्वाचन में सभी 6 पदों के लिए मतपत्रों के रंग पर आधारित अलग–अलग रंग के मतदान प्रकोष्ठ की व्यवस्था की गई ताकि मतदाता रंग के आधार पर भी पद की पहचान कर सके। इस प्रणाली से पदों की पहचान करने में विशेषकर निरक्षर मतदाताओं को काफी सहुलियत हुई।

बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 एवं बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 निम्न लिंक पर अवलोकन किया जा सकता है :-

http://sec.bihar.gov.in/PanchayatActRule.aspx

बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की महत्वपूर्ण धारायें

क्रमांक	धारा	विषय
		ग्राम पंचायत
1.	11	ग्राम पंचायत क्षेत्र की घोषणा
2.	12	ग्राम पंचायत की संरचना
3.	13	स्थान का आरक्षण
4.	14	ग्राम पंचायत की अवधि
5.	15	मुखिया एवं उप-मुखिया का निर्वाचन
6.	16	मुखिया और उप-मुखिया की पदावधि
7.	17	मुखिया और उप-मुखिया की शक्तियां, कृत्य और कर्त्तव्य
8.	18	मुखिया और उप-मुखिया का त्याग-पत्र या हटाया जाना
9.	19	ग्राम पंचायत के सदस्यों का त्याग-पत्र
		पंचायत समिति
10.	34	पंचायत समिति का गठन
11.	35	प्रखण्डों की घोषणा
12.	36	पंचायत समिति की संरचना
13.	37	निर्वाचित सदस्य
14.	38	स्थानों का आरक्षण
15.	39	पंचायत समिति की कार्यावधि

क्रमांक	धारा	विषय
16.	40	प्रमुख, उप-प्रमुख का निर्वाचन
17.	41	प्रमुख, उप-प्रमुख और अन्य सदस्यों को भत्ते
18.	42	प्रमुख की शक्ति, कार्य और दायित्व
19.	43	उप-प्रमुख के शक्तियां, कार्य और दायित्व
		जिला परिषद
20.	62	जिला परिषद् का गठन
21.	63	जिला परिषद् की संरचना
22.	64	निर्वाचित सदस्य
23.	65	स्थानों का आरक्षण
24.	66	जिला परिषद् की कार्यावधि
25.	67	अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन
26.	68	अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों को भत्ते
27.	69	अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की शक्ति, कार्य तथा दायित्व
28.	70	अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का त्यागपत्र अथवा हटाया जाना
		ग्राम कचहरी
29.	90	ग्राम कचहरी का गठन और सरपंच और पंचों का निर्वाचन
30.	91	स्थान का आरक्षण
31.	92	ग्राम कचहरी की अवधि
32.	93	सरपंच और उप-सरपंच का निर्वाचन
33.	94	ग्राम कचहरी की सहायता
34.	95	सरपंच और उप-सरपंच की पदावधि
35.	96	सरपंच और उप-सरपंच की शक्तियां और कार्य
		निर्वाचन
36.	123	राज्य निर्वाचन आयोग
37.	124	पंचायत निर्वाचन की अधिसूचना
38.	125	निर्वाचन के संचालन के लिए प्रशासनिक तन्त्र
39.	126	पंचायत के निर्वाचक
40.	127	जनगणना के पश्चात निर्वाचित सदस्यों का अवधारण
41.	128	प्रेक्षक
42.	129	जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) निर्वाची अधिकारी, पीठासीन पदाधिकारी आदि को राज्य निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्त माना जाएगा
43.	130	निर्वाचन अपराध
44.	131	मतदान के दिन कर्मचारियों को सवेतन अवकाश देने की मंजूरी
45.	132	मतदान के दिन शराब की बिक्री या वितरण नहीं किया जाएगा और न दिया जाएगा

क्रमांक	धारा	विषय
46.	133	निर्वाचन व्यय का लेखा और उसकी अधिकतम राशि
47.	134	निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किये जाने पर अनर्हता
48.	135	सदस्यता के लिये अर्हता
49	136	सदस्यता की निरर्हता
50.	137	चुनाव याचिका
51.	138	निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप पर रोक इस अधिनियम में किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी
52.	139	निर्वाचन को रद्द घोषित करने के आधार
53.	140	वैसे कारण जिनके चलते निर्वाचित उम्मीदवार से भिन्न अन्य कोई उम्मीदवार निर्वाचित घोषित किया जा सकेगा
54.	141	भ्रष्ट आचरण-इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ निम्नलिाित को भ्रष्ट आचरण में समझा जाएगा
55.	142	भ्रष्ट आचरण के संबंध में आदेश
56.	143	आदेशों की संसूचना
57.	144	यदि कोई स्थान रिक्त हो जाए तो नया निर्वाचन

बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के महत्वपूर्ण नियम

क्रमांक	नियम	विषय
1.	29	जिला निर्वाचन पदाधिकारी एवं जिला उप-निर्वाचन पदाधिकारी को पदाभिहित या नाम निर्दिष्ट कियाजाना
2.	30	निर्वाची पदाधिकारी की नियुक्ति
3.	31	सहायक निर्वाची पदाधिकारी की नियुक्ति
4.	32	पीठासीन पदाधिकारी एवं मतदान पदाधिकारी की नियुक्ति
5.	36	निर्वाचन के विभिन्न प्रक्रमों का नियत किया जाना
6.	37	नियम 36 के अधीन सूचना के प्रकाशन की रीति
7.	28	कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों की सेवायें उपलब्ध
8.	40	नाम निर्देशन शुल्क
9.	45	निर्वाचन अभिकर्त्ता की नियुक्ति तथा ऐसी नियुक्ति का प्रतिसंहरण या अभिकर्त्ता मृत्यु
10.	46	मतदान अभिकर्त्ता मृत्यु
11.	48	गणन अभिकत्ता की नियुक्ति
12.	41	नाम निर्देशन प. की संवीक्षा
13.	52	सविरोध निर्वाचन
14.	60	मतदाताओं की पहचान

क्रमांक	नियम	विषय
15.	72	मतों की गणना हेतु स्थान का चयन
16.	76	मतों की गणना
17.	77	मतगणना
18.	79	मतों की पुनर्गणना
19.	80	मत बराबर होना
20.	81	परिणामों की घोषणा
21.	82	निर्वाचन प्रमाण-पत्र
22.	83	निर्वाचन परिणाम का प्रकाशन

नगरपालिका निर्वाचन –

नगरपालिकाओं, यथा - नगर निगम (2 लाख की जनसंख्या से ऊपर), नगर परिषद (40,000 की जनसंख्या से ऊपर) एवं नगर पंचायत (12000 की जनसंख्या के ऊपर) के वार्ड पार्षदों का मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन तथा उनके मुख्य पार्षद/ उप मुख्य पार्षद का निर्वाचित वार्ड पार्षदों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (यथा संशोधित) एवं बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 2007 में निहित प्रावधानों के आलोक में राज्य निर्वाचन आयोग के नियन्त्रण, निदेशन एवं पर्यवेक्षण में वर्ष 2022 के पूर्व सम्पन्न कराये गये हैं। परन्तु राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या 176 दिनांक 02.04.2022 द्वारा नगरपालिका के पार्षद पद के साथ-साथ उप मुख्य पार्षद एवं मुख्य पार्षद पद का निर्वाचन भी मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से कराये जाने का निर्णय लिया गया है एवं इस संबंध में बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 तथा बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 2007 यथानुरूप आवश्यक संशोधन भी किया गया है।

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (यथा संशोधित) की धारा 12(2)(ख) तथा 12(2)(ग) और बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 2007 के नियम 29(2) से नियम 39 तक में नगरपालिकाओं की नगरपालिकावार पार्षदों के कुल पदों का आरक्षण 50 प्रतिशत अधिसीमा के अन्तर्गत किये जाने का प्रावधान है।

जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को उनके जनसंख्या के अनुपात के आधार पर, पिछड़ा वर्ग (अत्यन्त पिछड़ा वर्ग) को कुल पद का यथाशक्य 20 प्रतिशत तथा सभी श्रेणी की महिलाओं के लिए यथाशक्त 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है।

इसी प्रकार बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (यथा संशोधित) की धारा 29(1)(ख),(ग) एवं (घ) में कुल नगरपालिकाओं, यथा नगर निगम, नगर परिषद तथा नगर पंचायत के उप मुख्य पार्षद एवं मुख्य पार्षद के कुल पद पर पर आरक्षण 50 प्रतिशत अधिसीमा के अन्तर्गत करने का प्रावधान है।

जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को उनके जनसंख्या के अनुपात के आधार पर, पिछड़ा वर्ग (अत्यन्त पिछड़ा वर्ग) को यथाशक्य 20 प्रतिशत तथा सभी श्रेणी की महिलाओं के लिए यथाशक्त 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है।

555)

वर्ष 2022 में 248 नगरपालिका का आम निर्वाचन पार्षद के अतिरिक्त मुख्य पार्षद एवं उप मुख्य पार्षद के पदों पर मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन सम्पन्न कराया जाना है। वर्तमान में नगरपालिका पदवार विवरणी निम्नवत् है :-

नगरपालिकाओं का नाम		कुल नगरपालिकाओं की संख्या	वर्ष 2022 में कराये जाने वाला निर्वाचन
1. नगर निगम	-	19	19
2. नगर परिषद	-	88	83
3. नगर पंचायत	-	154	146
कुल		**261**	**248**

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 एवं बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 2007 को निम्न लिंक पर अवलोकन किया जा सकता है :-

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 – http://sec.bihar.gov.in/old-sec/download/AR-02-29-03-2007.pdf

बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 2007 – http://sec.bihar.gov.in/old-sec/download/N_Rules,%202007.pdf

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की महत्वपूर्ण धारायें

क्रमांक	धारा	विषय
1.	11	नगरपालिका
2.	12	नगरपालिका का गठन
3.	13	नगरपालिका का गठन
4.	14	पार्षदों का निर्वाचन
5.	15	पार्षदों द्वारा लिया जाने वाला निष्ठा की शपथ
6.	16	नगरपालिका पार्षदों का कार्यकाल
7	16अ.	पार्षदों के शक्ति और कार्य
8.	17	पार्षद की वापसी
9.	18	अयोग्यता
10.	441	नगरपालिका निर्वाचन की अधिसूचना
11.	442	निर्वाचन की समाप्ति के लिए समय का विस्तार
12.	443	निर्वाचन के संचालन के लिये प्रशासनिक तन्त्र
13.	444	निर्वाचन कार्य हेतु कतिपय प्राधिकारियों के कर्मियों को उपलब्ध कराया जाना
14	445	अभ्यर्थियों के लिए कतिपय सूचनाएं देना आवश्यक
15.	446	विनियम और नियमों के अंतर्गत ही अभ्यर्थी द्वारा सुचना प्रस्तुत करना
16.	447	मिथ्या शपथ पत्र भरने के लिए शास्ति
17.	448	निर्वाचन कार्य हेतु परिसर/वाहनों का अधिग्रहण
18.	449	मत देने का अधिकार

क्रमांक	धारा	विषय
19.	450	निर्वाचकों के प्रतिरुपण का निवारण करने के लिए विशेष प्रक्रिया
20.	451	नगरपालिका के निर्वाचक
21.	452	प्रेक्षक
22.	453	जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) निर्वाची अधिकारी, पीठासीन पदाधिकारी आदि को राज्य निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्त माना जाएगा

बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 2007 के महत्वपूर्ण नियम

क्रमांक	नियम	विषय
1.	3	मतदाता के रुप में निबंध हेतु अर्हता
2.	4	मतदाता सूची
3.	5	निबंधन पदाधिकारी
4.	6	मतदाता सूची की तैयारी एवं प्रकाशन हेतु अभिकरण
5.	7	वार्ड की मतदाता सूची का उपविभाजन
6.	8	मतदाता सूची का प्रपत्र
7.	9	प्रारुप मतदाता सूची का प्रकाशन
8.	10	प्रारुप मतदाता सूची की मुद्रित प्रतियों की सर्वसाधारण के लिए बिक्री
9.	11	रिभाईजिंग अथॉरिटी की नियुक्ति
10.	12	दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करने हेतु सूचना
11.	13	दावों एवं आपत्तियों से संबंधित विशिष्टियां
12.	14	सूची में नामों को सम्मिलित करने हेतु दावा
13.	15	दावे एवं आपत्तियों की पंजी
14.	16	दावे एवं आपत्तियों की सूचना
15.	17	सूची में प्रविष्टि के प्रति आपत्ति
16.	18	रिभाईजिंग अथॉरिटी द्वारा सूचना निर्गत करने की प्रक्रिया
17.	19	निबंधन पदाधिकारी द्वारा दावों/ आपूर्त्तियों का स्थानान्तरण
18.	20	दावों एवं आपत्तियों की सूचना का प्रकाशन
19.	21	रिभाईजिंग अथॉरिटी द्वारा दावों का निष्पादन
20	22	दावों एवं आपत्तियों के संबंध में रिभाईजिंग अथॉरिटी द्वारा जाँच
21.	23	दावों एवं आपत्तियों के संबंध में रिभाईजिंग अथॉरिटी द्वारा जाँच
22.	24	रिभाईजिंग अथॉरिटी स्वप्रेरणा से यथाप्रकाशित मतदाता सूची में किसी लिपिकीय भूल या अपूर्ण प्रविष्टि के संशोधन का आदेश दे सकेगा
23.	25	निबंधन पदाधिकारी की शक्ति एवं कृत्य
24.	26	मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन
25.	27	विशिष्ट मामलों में अंतिम प्रकाशन के पश्चात् मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण
26.	28	मतदाता सूची की तैयारी पर हुए व्यय का वहन नगरपालिका द्वारा किया जाएगा
27.	40	पार्षदों के निर्वाचन की अधिसूचना

554)

क्रमांक	नियम	विषय
28.	41	निर्वाचन की विशिष्टियों की सूचना
29.	42	अभ्यर्थियों का नामांकन एवं फीस का निक्षेपण
30.	43	नामांकन पत्र का प्रस्तुतीकरण एवं विधिमान्य नामांकन के लिए अपेक्षाएं
31.	44	नामांकन एवं समीक्षा के समय और स्थान की सूचना
32.	45	अभ्यर्थियों का नामांकन पत्रों के निरीक्षण की सुविधा देना
33.	46	नामांकन पत्रों की संवीक्षा
34.	47	निर्वाची पदाधिकारी का निर्णय अंतिम होगा
35.	48	विधिमान्य नामांकनों की सूची का प्रकाशन और अभ्यर्थितों की वापसी
36.	49	निक्षेप (डिपोजिट) वापस नहीं किया जाएगा
37.	50	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची की तैयारी एवं प्रकाशन
38.	51	सविरोध और निर्विरोध निर्वाचनों में प्रक्रिया
39.	52	मतदान के लिए समय नियत करना
40.	53	मतदान केन्द्र एवं पीठासीन तथा मतदान पदाधिकारी
41.	54	निर्वाचन अभिकर्त्ता की नियुक्ति और उसकी नियुक्ति का प्रतिसंहरण या उसकी मृत्यु
42.	55	मतदान अभिकर्त्ता की नियुक्ति
43.	56	मतदान अभिकर्त्ता की नियुक्ति का प्रतिसंहरण या उसकी मृत्यु
44.	57	गणन अभिकर्त्ता की नियुक्ति
45.	58	गणन अभिकर्त्ता की नियुक्ति का प्रतिसंहरण या उसकी मृत्यु
46.	59	मतदान केन्द्र पर सूचना
47.	60	मतदान की रीति
48.	61	मतदान केन्द्र पर पीठासीन पदाधिकारी के कर्त्तव्य एवं अधिकार
49.	62	मतदान प्रारम्भ होने के पूर्व मतपेटिकाओं को बंद करना तथा उनपर सीन लगाना
50.	63	मतदाताओं की पहचान
51.	64	इलेक्ट्रोनिक फोटो पहचान पत्र पहचान का प्रमुख आधार होगा
52.	65	मतदान केन्द्र में प्रवेश और उसे बंद करना
53.	66	मतदान केन्द्रों में मतदान प्रकोष्ठ
54.	67	मतदान केन्द्र पर मतपेटिका/ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एवं अन्य सामग्रियों को उपलब्ध किया जाना
55.	68	मतपत्र
56.	69	मतदान के पहले की प्रक्रिया
57.	70	मतदान
58.	71	दृष्टिहीन या निःशक्त मतदाताओं द्वारा मतदान
59.	72	निविदत्त मत
60.	73	आक्षेपित मत
61.	74	खराब हुए और लौटाये गये मतपत्र तथा मतपेटियों के बाहर पाये गये मतपत्र
62.	75	पीठासीन पदाधिकारी तथा मतदान पदाधिकारी एवं निर्वाचन अभिकर्त्ताओं द्वारा मतदान का अभिलेखन किया जाना

क्रमांक	नियम	विषय
63.	76	नियम 75 के अधीन प्रमाण-पत्र स्वीकृत किये गये व्यक्तियों को मतपत्र निर्गत किया जाना
64.	77	मतदान के पश्चात् मतपेटियों का सीलबंद किया जाना
65.	78	मतपत्र एवं पेपर सील का लेखा
66.	79	मतों की गणना की सूचना
67.	80	मतगणना के समय जो व्यक्ति उपस्थित रह सकते
68.	81	मतों की गणना के दौरान अपनाई जाने वाली प्रक्रिया
69.	82	जिन आधारों पर मतपत्र नामंजूर किये जा सकेंगे
70.	83	मतपत्रों आदि के लेखा का सत्यापन
71.	84	परिणाम की घोषणा एवं निर्वाचन प्रमाण-पत्र दिया जाना
72.	85	इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मतदान कराये जाने की स्थिति में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया
73	86	परिणाम का प्रतिवेदन
74.	87	निर्वाचित पार्षदों के नामों का प्रकाशन
75.	88	पैकेटों की अन्तर्वस्तु का निरीक्षण
76.	89	पैकेटों का विनष्टीकरण
77.	90	निर्वाचन कागजातों की अभिरक्षा एवं संरक्षण
78.	91	नगरपालिका कर्मियों द्वारा निर्वाचन में प्रचार अथवा सहायता करना वर्जित
79.	92	राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निदेश
80.	98	मतदान के पहले अभ्यर्थी की मृत्यु
81.	99	आपात स्थिति में मतदान का स्थगन
82.	100	अधिकतम निर्वाचन व्यय
83.	101	निर्वाचन व्यय की विवरणी
84.	102	चुनाव याचिका
85.	103	चुनाव याचिका का प्रस्तुतीकरण
86.	104	राहत का दावा किया जाना एवं इसके आधार
87.	105	याचिका की अन्तर्वस्तु
88.	106	याचिका के पक्षकार
89.	107	कोर्ट फीस
90.	108	चुनाव याचिका की वापसी
91.	109	चुनाव याचिका का निष्पादन
92.	110	चुनाव याचिका पर आदेश की प्रति उपलब्ध कराया जाना
93.	111	चुनाव याचिका दायर करने हेतु अभिलेखों से संबंधित सूचना अथवा सत्यापित प्रति समय सीमा के अंदर उपलब्ध कराया जाना
94.	112	शपथ-ग्रहण
95.	113	एक ही अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक स्थान से निर्वाचित होने की स्थिति में नगरपालिका में स्थान का रिक्त हो जाना
96.	114	उप चुनाव

अन्यान्य

बीच-बीच में ग्राम पंचायतों अथवा नगरपालिकाओं के विभिन्न कराणवश रिक्त हुये पदों पर उप निर्वाचन सम्पन्न कराये जाते हैं।

साथ ही भारत के परिसिमन आयोग जिनके द्वारा राज्य के लोक सभा एवं विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसिमन (क्षेत्र निर्धारण) का कार्य राज्य स्तर पर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। तीन सदस्यीय भारत परिसिमन आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त दो सदस्यों में एक सदस्य भारत निर्वाचन आयुक्त तथा दूसरे सदस्य राज्य के राज्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं।

●